V-190
Cr-J. (E)

Plea ne

[SU]MMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEFURE CODE, 1898

In the Court of **Jitrndra Rawat** Magistrate **First** Class **Maheshwer** Case No **SUM/575/2022** Compliant or report made on 26-02-22 Name and address of the complainant Darasingh SI - **Thana karhi TEH.Maheshwer**

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र **करही** विरूद्ध **रविन्द्र व अन्य**

Name, parentage, caste and address of accused

1. रविन्द्र पिता रमेश उम्र 32 वर्ष, 2 सतीश पिता रमेश उम्र 33 वर्ष, निवासी आखीपुरा, थाना महेश्वर

The offence complained of, and date of, its alleged commission-

आपने दिनांक 26.02.22 को समय 13.30 बजे स्थान ग्राम आखीपुरा पुल के पास, करही, तहसील महेश्वर जिला खरगोन में अंको व अंको की युक्ति द्वारा हार जीत का दांव लगाकर सट्टा लिखा/खिला रहे थे।

ऐसा करके आपने वह अपराध किया जो कि धारा 13 जुआ एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के संज्ञान के क्षेत्राधिकार में है।

क्या आप अपराध स्वीकार करते हो अथवा प्रतिरक्षा चाहते हो ?

J. Rawat
(जितेन्द्र रावत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महेश्वर

The plea of the accused and his examination (if any)

आरोपी/आरोपीगण की प्ली
अपराध स्वीकार है।

J. Rawat
जितेन्द्र रावत
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
महेश्वर

रवीन्द्र गोस्वामी. सतीश

The offence proved, of any. and in case under clause. (d) clause (e) clause (f) or clause (g). of Sub-section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

: : निर्णय : :

// आज दिनांक 31/10/2022 को घोषित //

1. अभियुक्त/ अभियुक्तगण द्वारा आरोप स्वेच्छा से स्वीकार किया गया। अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा से की गई आरोप की स्वीकारोक्ति को ना मानने का कोई कारण न्यायालय को दर्शित नही होता है। अतः उसकी स्वीकारोक्ति के आधार पर यह प्रमाणित पाया जाता है कि **अभियुक्त ने दिनांक 26.02.22 को समय 13.30 बजे स्थान ग्राम आखीपुरा पुल के पास, करही, तहसील महेश्वर जिला खरगोन में अंको व अंको की युक्ति द्वारा हार जीत का दांव लगाकर सट्टा लिखा/खिला रहे थे।** अतः अभियुक्त/अभियुक्तगण को 13 जुआ एक्ट के तहत दोषसिद्ध किया जाता है।

2. अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोजन की ओर से पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है । अतः अभियुक्त को **13 जुआ एक्ट** के अंतर्गत **न्यायालय उठने तक का कारावास अंतर्गत 100–100/– रूपये के अर्थदण्ड** से दंडित किया जाता है ।

3. अभियुक्त/अभियुक्तगण द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 10 दिवस के सश्रम कारावास की सजा भुगताई जावे।

4. प्रकरण में जब्तशुदा 52 ताश के पत्ते व नगदी 1000/–रूपए अपील अवधि पश्चात अपील ना होने की दशा में क्रमशः नष्ट, राजसात् किये जाएे।

निर्णय खुले न्यायालय मे दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

J. Rawat
31/10/22
(जितेन्द्र रावत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
(जितेन्द्र रावत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
महेश्वर प.नि.

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

J. Rawat
31/10/22
(जितेन्द्र रावत)
(जितेन्द्र रावत)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
महेश्वर प.नि.